रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082023-248266
CG-DL-E-23082023-248266

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3617] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2023/भाद्र 1, 1945
No. 3617] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2023/BHADRA 1, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2023

का.आ. 3777(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, 'पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड', (PAN AAALP0698P), पंजाब राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय, को उस निकाय से उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थातः

(क) श्रम उपकर संग्रहण;

(ख) अंशदान संग्रहण;

(ग) उक्त (क) से (ख) के संबंध में अर्जित ब्याज।

2. इस अधिसूचना के प्रावधान निम्न के अध्यधीन प्रभावी होंगे कि पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड-

(क) किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगा;

(ख) कार्यकलाप और विशिष्ट आय की प्रकृति समस्त वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी फाइल की जाएगी।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2022-2023 और निर्धारण वर्ष 2023-2024 के संबंध में लागू मानी जाएगी और क्रमशः वित्तीय वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 67/2023 /फा. सं. 300196/4/2022-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-I)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2023

S.O. 3777(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, Punjab Building and Other Construction Welfare Board (PAN: AAALP0698P), a body constituted by the State Government of Punjab, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

(a) Labour Cess collection;

(b) Contribution collection; and

(c) Interest earned on (a) and (b) above.

2. The provisions of this notification shall be effective subject to the conditions that Punjab Building and Other Construction Welfare Board,-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file returns of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the for the A.Y 2022-2023 and A.Y 2023-2024 relevant for F.Y. 2021-2022 and 2022-2023 respectively.

[Notification No. 67/2023/F.No.300196/4/2022-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director (ITA-I)

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.23 21:38:01 +05'30'